राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमाक –नर्सिग / नर्स–2(F) / (कोर्ट केस) एम–13 / 2019 / दिनांकः–

उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वा.),

एव केस प्रभारी अधिकारी,

उदयपुर।

विषय – एस0बी0सिविल रिट पिटिशन सं0 4705 / 2018 मधु मीणा, नर्स–2 बनाम राज्य सरकार व अन्य मे तथ्यात्मक रिपोर्ट के संबंध मे।

सन्दर्भः– निदेशालय के पत्रांक 531 दिनांक 06.06.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में एस0बी0सिविल रिट पिटिशन स0 4705 / 2018 मधु मीणा, नर्स–2 बनाम राज्य सरकार व अन्य के प्रकरण मे तथ्यात्मक रिर्पोट निम्नानुसार है –

1 विवादित नही है।
2 स्वीकार्य है।
3 स्वीकार्य है।
4 स्वीकार्य है।
5 टिप्पणी आवश्यक नही।
6 स्वीकार्य है।
7 पूर्णरूप से स्वीकार्य नहीं है, याचिकाकर्ता के नियुक्ति आदेश दिनांक २५.०१.२००७ मे यह उल्लेख नहीं किया गया है कि इनकी नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा एं स्वास्थ्य अधिनस्थ सेवा नियम 1965 यथा सशोधित नियमों के तहत की गई है ना ही याचिकाकर्ता की नियुक्ति substantive capacitiy मे किये जाने का उल्लेख है।
टिप्पणी आवश्यक नही है।
8 बिन्दु स0 7 में स्पष्ट किया गया है।
9 बिन्दु सं0 7 में स्पष्ट किया गया है।
10 यथा लिखित मान्य नहीं है, याचिकाकर्ताओं को फिक्स अमाउण्ट पर (समेकित वेतन)पर नियुक्ति की गई है।
11 यथा लिखित मान्य नही है, बिन्दु सं0 7 के अतिरिक्त लेख है कि याचिकाकर्ताओ को जिन स्वीकृत पदो के विरूद्ध की गई है वे स्थायी प्रकृति के पद नही है ।
12 बिन्दु सं0 7,10 एवं 11 में उल्लेखितानुसार ।
13 सहमत है किन्तु समेकित वेतन पर 10 प्रतिशत की वृद्धि किया जाना कार्मिक को नियमित श्रेणी का कार्मिक नहीं माना जा सकता है ।
14 सहमत है।
15 पूर्ण रूप से मान्य नही है याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति राजस्थान ग्रामीण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिनस्थ सेवा नियम 2008 में उपलब्ध प्रावधानों के तहत दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर की गई है ।
16 यथालिखित मान्य नही है, याचिकाकर्ता पूर्व मे संविदा समेकित वेतन पर नियुक्त थे, जो नियमो से शासित नही होते थे, जबकि वर्ष 2009. में याचिकाकर्ताओ की नियुक्ति 2008 के तहत की गई है।
17 सहमत है ।
18 सहमत है ।
19 पूर्ण रूप से सहमत नहीं है, बिन्दु सं0 16 में उल्लेखित किया जा चुका है।
20 सहमत नहीं है । बिन्दु स0 7 के अनुसार बिन्दु सं0 21, 22 पूर्ण रूप से सहमत नही है। सलग्न आदेश दिनाक 01 09 17 मे स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि तदर्थ सेवा अवधि को नियमित किया गया है जबकि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति तदर्थ (Adhoc) आधार पर नही की गई थी ।

23 बिन्दु स0 7 मे उल्लेख किया जा चुका है।

24 पूर्णरूप से सहमत नहीं है याचिकाकर्ताओ की नियुक्ति समेकित वेतन पर की गई थी जो नियम 1965 से शासित नहीं होती है यूटीबी के आधार पर नियुक्ति किसी समय/कार्य एव परिस्थिति विशेष के लिए की
जाती है जो स्थाई प्रकृति की नहीं होती है।

25 पूर्ण रूप से मान्य नही है याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति संविदा समेकित वेतन पर की गई थी जो किसी नियमो मे शासित नहीं होने के कारण नियमों में उल्लेखित प्रावधान लागू नही होते है।

26–27 विधिक बिन्दु है।

अत उक्त प्रकरण में उक्तानुसार जवाबदावा तैयार करवाकर राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर शीघ्र जवाबदावां माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराते हुए राज्य पक्ष मे प्रतिरक्षण की कार्यवाही कराते हुए प्रकरण में प्रगति रिपोर्ट से निदेशालय को अवगत कराने का श्रम करे।

Sd

संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः–नर्सिग/नर्स–2(F)/(कोर्ट केस)एम–13/2019/1036 दिनांकः– 01/08/19

प्रतिलिपिः– निम्न को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1– उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
2– संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन उदयपुर।
3– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर।
4– अनिल कुमार बिस्सा, अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
5– रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर